


बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 251

पटना, दिनांक- 9/3/2016

डॉ० शमशेर बहादुर सिंह, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान में मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार के रिक्त पद का प्रभार लेने का आदेश दिया जाता है।


2. यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थायी होगी तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
  
(देव नन्दम यादव)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 251

पटना, दिनांक- 9/3/2016


प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 251

पटना, दिनांक- 9/3/2016


प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं०- 251

पटना, दिनांक- 9/3/2016

प्रतिलिपि-विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/ डॉ० शमशेर बहादुर सिंह, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना/सभी कारखाना निरीक्षक/सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

  
सरकार के अपर सचिव